

58/11/12

12680/10




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पति/पत्नी




श्री



विवरण

पति/पत्नी की आय—	₹ 4,55,000/-
संयुक्त रूप से—	₹ 4,55,400/-
अन्य स्रोतों से आय—	₹ 56,000/-

1. पति का पता — गाँव
2. पत्नी का पता — सिवनी



श्री



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95


96

97

98

99


100



14/11/2019




राज्य प्रदेश UTTAR PRADESH



- 1. मन्दि का प्रकाश - दुर्ग
- 2. देवी की मूर्ति - गढ़ी
- 3. मन्दिर का कुंआ काया - खुल भी नहीं है।


नौकरी खाली नं० 1989
 उत्तर प्रदेश : उत्तर नं० - 202, 203, 204, 207
 उत्तर प्रदेश : उत्तर नं० - 206 व उत्तर
 उत्तर प्रदेश : उत्तर नं० - 205, 204
 उत्तर प्रदेश : उत्तर नं० - 205, 203, 202



२००२



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



पक्ष का पता—

द्वितीय पक्ष का पता—

पिता का पता	किस का पता
श्री १०८ हरी प्रसाद मिश्रा— पत्नी श्री. राजेश्वरी देवी मनमोहन बिजनौर तहसील का पिता लखनऊ।	श्री १०८ पुन मधुना प्रसाद मिश्रा— एन-३, एन-२ लखनऊ।
पक्ष का पता— श्री	द्वितीय पक्ष का पता— श्री



रजिस्ट्रार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

कमिश्नर के द्वारा उपरोक्त जलदायित्व पर्यवेक्षण प्रमोदी एवं संख्या
 00000 के अधीन भूमि मिलने के साथ संश्लेषण सुविधा के रूप में
 एक ही और मिलने के नाम पर अल्प दूरतक सतत उचितता में
 ही भूमा है। किन्तु यहाँ की जलदायित्वता से शायद विज्ञान
 प्रयत्न सम्पूर्ण देखें अता जो का संपन्न मिलने पर नियम पर
 एक ही एक ही मिलने का अता भूमि को दिखव करने का पूर्ण
 अधिकार प्राप्त है। किन्तु उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि से शक्ति, कनिष्ठ
 के कमिश्नर के एक जमान समय में एक ही कृषि भूमि से और एक
 भूमि सम्पन्न भूमि का हिस्सा नहीं है तथा एक भूमि सीमित नाम



इति



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



समस्त, गृहण व प्र... की नमि नहीं है। यह कि निम्नता यह घोषित
 करता है कि उपरोक्त निर्दिष्ट मुद्रा कभी कवन से जारी न हुआ है।
 मूलक व संप्र... के तथा विक्रय से तथा इस विषय के पूर्व कहीं का
 दिया, निर्यात या अनुसंधान इत्यादि नहीं किया है। निम्नता ने उक्त
 मुद्रा को कभी कवन या कवन प्रकार का केंद्र नष्ट नहीं किया है।
 यदि कोई केलन उक्त मुद्रा में निम्नता है तो उसके सम्बन्ध
 निम्नता ने उसकी प्रतिक्रिया व निम्नता कलाशिक्षणार्थी द्वारा। उपरोक्त
 मुद्रा या प्रत्यक्ष कोई भी नैतिक व्यावसायिक या सरकारी कार्रवाई के
 सम्बन्धित विषय का प्रयत्न नहीं किया गयी है, न ही पूर्व कथित है।



2/10/78

विद्येता जे अरावा उक्त युक्ति में किसी उक्त व्यक्ति का नाम, उक्त या उक्त इत्यादि नहीं है, एवं विद्येता को उक्त विद्येता अरावण कर्ता का पूरा अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति में फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु. 4,90,125/- (490 हजार सात सित्तरहों हजार नौ सौ अष्टपचास मात्र) के प्रतिफल में विद्येता-अरावण कर्ता द्वारा विद्येता को उक्त विद्येता के अन्त में ही उक्त अनुसूची में वर्णित शक्ति के अनुसार भुक्तान कर दिया गया है। उक्त विद्येता शक्ति का विद्येता नहीं स्वीकार करता है। अतएव उक्त विद्येता अरावण कर्ता के द्वारा अरावण कर्ता-वर्षित भूमि, विद्येता विद्येता इस विक्रय विद्येता में अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, एवं कर्ता-लेन दिया है, एवं विद्येता में विद्येताशुभ भूमि का गाने का उक्त विद्येता को बलपूर्वी कर्ता विद्येता गया है। उक्त कर्ता अरावण कर्ता विद्येता का उक्त विद्येता का कोई अधिकार नहीं है। विद्येता में विद्येताशुभ सम्पत्ति के अन्त में सम्पत्ति के सम्पत्ति अधिकारों के साथ पूर्वगत व अन्तर्गत के सिद्ध कर्ता को हस्तागत कर दिया है। उक्त कर्ता-विद्येताशुभ सम्पत्ति एक प्रकार के प्रत्येक मात्र को अपने अन्तर्गत सम्पत्ति में अधिकार व उक्त में सम्पत्ति में रूप में प्राप्त कर सम्पत्ति व सम्पत्ति कर्ता। विद्येता व उक्त विद्येता उक्त किसी उक्त की उक्त कर्ता नहीं प्राप्त करने एवं व ही कोई मात्र कर्ता शक्ति और वक्त विद्येताशुभ सम्पत्ति अन्तर्गत कोई मात्र विद्येता के सम्पत्ति में उक्ति व सम्पत्ति का कर्ता उक्त कर्ता कर्ता उक्ति के अन्तर्गत कर्ता का उक्त विद्येता विद्येताशुभ इत्यादि के अन्तर्गत व अधिकार का कर्ता है। विद्येता कर्ता का कर्ता उक्त विद्येता, विद्येताशुभ सम्पत्ति को प्राप्त कर दिया कि उक्त अन्त


सुदेश

समस्त नुकसान सब इज्जत खर्चा, विक्रेता की बचत, अथवा सम्पत्ति से लिये अदायता कर लें। इस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान कर्ता व स्वामी देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि कर्ता भूमि लक्ष्मणक किल्ला प्राधिकरण, लक्ष्मणक तथा लक्ष्मण आवास एवं विकास परिषद, लक्ष्मणक तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अतिरिक्त नती की नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

यह कि कर्ता विकल्पवृत्त सम्पत्ति को दक्षिण स्वर्णिम राजस्थान अभियंत्रणों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इन विकल्प विक्रेता के पूर्ण का अगर कोई कर्ताया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान न करना करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त छसरा नगर गाम स्वीना, जनपदीय क्षेत्र के सामान्य गाम के अन्तर्गत सादा है इन्फिन्ड निष्ठांरित सराकेल रेट रु० 18,00,000/- प्रति हेक्टर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.253 हेक्टर की गणित्या रु० 4,55,400/- होती है तथा विकल्प मूल्य भूमि के बाजाज मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विकल्प मूल्य पर ही रु० 35,000/- जनरल स्टाम्प आदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविडिया नहीं चल रही है न कोई नलकूप खुदा भी नहीं है, तथा 200 नी० के अड्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक गाम, राजमान व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि भुलानपुर



१/११/११

दिनांक

48.28.00 48.48.00

11.00.00

20 10.00.00

1.00

का. सं. 100

का. सं. 100

का.

का. सं. 100

विषय

विषय

1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

[Handwritten signature]



गौरीगंगा अधिसूचना सं. 100/2000

[Handwritten signature]

पी. के. सुब्बा

एम. निरन्धर (सहाय)

अधीनस्थ

57-58/10

विषय: विद्युत वितरण कार्य के लिए आवश्यक भू-खोज-सी. के. अधिनियम द्वारा

11

12

13

[Handwritten signature]

14

15

16



17

18

19

20



21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

[Handwritten signature]



गौरीगंगा अधिसूचना सं. 100/2000

[Handwritten signature]

पी. के. सुब्बा

एम. निरन्धर (सहाय)

अधीनस्थ

57-58/10

31

सोड से बंधन रहते हुए मरु से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इन विक्रय शिर्षक के निबन्धन का समझा स्वीकार किया गया तथा यह किन्हीं कारणों से बिना किसी लॉर व इबाध के स्वस्थ वित्त मूल से वापस जवाबान लिख दिया ताकि सन्देह और बन्धन जरूरत पड़ने पर काम आये।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू० 4,99,928/- द्वारा एक राक्या- 363696
2. दिनांक 3/07/2010 को एक पंजाब नेशनल बैंक, हनुमानगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।


इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू० 4,99,928/- (रू० चार लाख नब्बहत्तर हजार नौ सौ अठ्ठाइस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है तथा अब कोई भी अनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

सचनक:

दिनांक : 03/07/2010

स्वाह :-

1. विक्रेता/श्रावण
राम चन्द्रा
(सिद्धि कल्याण लखनऊ)


विक्रेता

2. विक्रेता/श्रावण

9/3/10/10/10/10/10/10

श्रीलक्ष्मी
क्रेता

टाइपकर्ता

लखनऊ सिटी
सिविल कोर्ट लखनऊ

मुद्राविधाकर्ता


(सिद्धि कल्याण लखनऊ)
सिविल कोर्ट लखनऊ

Prüfung

Prüfung Nr.: 15/00

Jahr: 2010



Seite Nr.: 1

0101 4129

0101 4129


0101 4129 4129 4129

0101



नक्शा नजरी

सूचि संकेतित आसतलें त्वाका संज्ञा- (उत्तर) री स्थित ग्राम स्थिति,
पट्टा संख्या तालीक संख्या जिला त्वाका.



संलग्न त्वाका
संलग्न त्वाका

संलग्न त्वाका
संलग्न त्वाका



3011

Subject No: 1223

Year: 2010

Doc. No: 1

0811
10/11
10/11
10/11



क्र. अंक 05/07/2010 ले

परी. नं. L पृ. सं. 1131

पृ. सं. 183 व 406 का अंक 1200

संशोधन विभाग

संशोधन विभाग, दिल्ली



दि. 07/07/2010

संशोधन

विभाग

